कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला : जांजगीर–चाम्पा (छत्तीसगढ़)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक /10930/ T.F. LIC./REN./2026 जांजगीर, दिनांक 18 /09/2026

दीपावली पर्व के दृष्टिगत जिले में अस्थाई फटाखा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 18.09.2026 सें 09.10.2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप एलई–05 में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

1. निर्धारित प्रारुप एलई –05 में आवेदन पत्र।
2. प्रस्तावित फटाखा विक्रय स्थल का साईट मैप/स्थल नक्शा।
3. आवेदक का पासपोर्ट आकार कर नवीनतम फोटो।
4. फोटोयुक्त परिचय पत्र।
5. संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
6. विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार निर्धारित शुल्क।

निर्धारित अवधि दिनांक 09.10.2026 के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(जनमेजय महोबे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 10931 /T.F. LIC./REN./2026 जांजगीर, दिनांक 18 /09/2026

प्रतिलिपिः–

1/ उप संचालक, जनसंपर्क, जिला जांजगीर–चाम्पा को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

2/ ई–डिस्ट्रिक्स मैनेजर, जिला ईगवर्नेंस सोसायटी, जिला जांजगीर–चाम्पा को आपका पत्र कमांक 385/ई गवर्नेंस जांजगीर, दिनांक 24.9.2021 के संबंध में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3/ सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/शिवरीनारायण/पामगढ़/चांपा/शिवरीनारायण/अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है।

(जनमेजय महोबे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner